

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-100/2019 - 5265

/पटना, दिनांक-04/10/19

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़क, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है :-

क्र० सं०	कार्य प्रमंडल	प्रखंड	पथ का नाम	लम्बाई (कि०मी०)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	आकस्मिकता की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	FORBESGANJ	Narpatganj	Fulkaha to Nawabganj	1.800	44.048	18.967	4.405	67.420
2	FORBESGANJ	Narpatganj	Improvement Work of Achara to Ghurna Road	7.500	166.858	79.308	16.686	262.852
3	FORBESGANJ	Forbesganj	NH-57 Mainkpur to Subhankerpur Road	2.500	119.106	27.055	11.911	158.072
4	FORBESGANJ	Forbesganj	Near NH-7 Sirasea Chowk to Idgah Paswan Tola Road via. Primery School Sukhi	2.300	67.296	24.292	6.730	98.318
5	FORBESGANJ	Raniganj	Kohbara, Bisanpur Chowk To Beldara Bhudan Tola Road	2.000	57.572	21.875	5.757	85.204
6	FORBESGANJ	Raniganj	Rojokhar To Binodpur	4.400	119.264	47.36	11.926	178.550
7	FORBESGANJ	Bhargama	Birnagar East to High School Biranagr	1.200	50.307	12.988	5.031	68.326
8	FORBESGANJ	Bhargama	NH-57 Narpatganj To Mirdaul Part A	6.500	296.554	69.973	29.655	396.182
	Total			28.200				1314.924

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, फॉरबिसगंज योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्राकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

J. Kumar

3/10/19